यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल, श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.08.2020 से 04.09.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पुर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय, एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.01.2020 से 21.01.2020 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - समस्त जनपद देहरादून

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(ब्याज,अर्थदण्ड एवं अन्य प्राप्तियां)

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	90047.67
2018-19	91737.69
2019-20	95484.23

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2017-18	-	-	349.72	338.30	-	-	-	10.42
2018-19	-	-	443.01	408.68	-	-	-	34.33
2019-20	-	-	336.71	323.12	-	-	-	13.59

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव-आबकारी आयुक्त- अपर आबकारी आयुक्त- संयुक्त आबकारी आयुक्त- उप आबकारी आयुक्त-सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी - आबकारी निरीक्षक-लिपिक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 07/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 10/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज की वसूली न किया जाना।

प्रस्तर- 2 : अयोग्य व्यक्तियों को अनुज्ञापन दिये जाने से रु0 138.14 लाख राजस्व हानि।

प्रस्तर- 3 : देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानो को दैनिक आधार पर संचालन न किए जाने से राजस्व हानि।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व बकाया ₹ 22.45 करोड़।

प्रस्तर-2 : नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप रु. 22.79 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 3 : अनुज्ञापियों से स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने से रू 1.01 लाख की हानि।

STAN

प्रस्तर- 1 : निष्प्रयोज्य वाहन का मूल्यांकन कर नीलामी न कराया जाना |

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-1: नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं किया जाना।

Under Para 38-A of The United Provinces Excise Act, 1910- Interest on arrears of excise revenue-(1) Where any excise revenue has not been paid within three months from the date on which it becomes payable, interest at such rate not exceeding twenty-four per cent per annum, as may be prescribed, shall be payable from the date such excise revenue becomes payable till the date of actual payment.

Provided that until a higher rate is prescribed, the rate of interest will be eighteen per cent per annum.

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 13 देशी मदिर दुकानों एवं 04 विदेशी मदिरा दुकानों के स्वामियों के द्वारा लाइसेन्स शुल्क, प्रथम प्रतिभूति, द्वितीय प्रतिभूति एवं मासिक अधिभार विलम्ब से जमा किये गया था, बिलंब से जमा धनराशि पर न तो ब्याज आगणित कर लेखा परीक्षा तिथि (04/09/2020) तक वसूल किया नहीं गया था और न ही नियमानुसार वसूली प्रमाण पत्र ही बकायेदारों को जारी किये गए थे। जिसके परिणामस्वरूप कुल 17 (13+4) देशी/ बिदेशी मदिरा दुकानों पर 18 प्रतिशतल कि दर से आगणित ब्याज ₹.1,34,61,091/- (9044450 + 4416641) वसूला नहीं जा सका (विवरण पत्र सलग्न)। जो कि स्पष्टतः राजकीय राजस्व के प्रति विभाग की उदासीनता एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने आंकढ़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि “यथाशीघ्र वसूली हेतु कार्यवाही करते हुये RC जारी करने हेतु जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाएगा”।

अतः नियमानुसार कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ की ब्याज की वसूली नहीं किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

वर्ष 2019-20 हेतु देशी मदिरा की दुकानों पर बकाया ब्याज की धनराशि का विवरण जिनके द्वारा बिलम्ब से देयताऐ जमा की गयी है।

क्र. सं.	दुकान का नाम	प्रतिभूति विलम्ब से जमा करने पर आरोपित किया जाने वाला ब्याज		अनुज्ञापन शुल्क विलम्ब से जमा करने पर आरोपित किया जाने वाला ब्याज	अधिभार विलम्ब से जमा करने पर आरोपित किया जाने वाला ब्याज										कुल बकाया ब्याज की धनराशि
		फरवरी/ मार्च (अग्रिम)			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	
		प्रथम	द्वितीय												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	करनपुर	167120	103077	69904	0	0	0	2154	0	68050	97606	110718	87024	104751	810404
2	बल्लूपुर	122207	157324	10011	0	0	0	517	0	8850	3600	8855	10833	51253	373450
3	पटेलनगर (सहारनपुर रोड़)	217162	46866	108495	39377	18324	9893	0	6033	83964	115308	79241	75983	97158	897804
4	धर्मपुर	87590	99378	0	0	0	0	0	0	9336	17115	8120	7780	27459	256778
5	हरिद्वारबाई0	210009	207559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417568
6	लखीबाग	154244	116154	0	0	0	0	2011	3861	0	60513	108392	99221	100226	644622
7	अकबतहसील	196514	0	19421	0	0	0	0	0	0	51518	18243	3262	7452	296410
8	कांवलीरोड़	311107	57036	50060	42175	9594	6614	2729	4060	39860	45112	20206	9009	21127	618689
9	अधो०चुन्ना	282468	361750	113547	0	0	0	0	0	65441	176879	156290	116276	357712	1630363
10	हैडवाली	46019	45061	5529	0	0	0	0	0	4755	2993	3100	3510	0	110967
11	रायवाला	224920	188217	167583	0	0	0	2722	5287	44771	0	97792	128120	105079	964491
12	शास्त्रीनगर	396040	486075	224754	344	689	0	4419	28247	103634	161511	178626	159906	134237	1878482
13	भाउवाला	30748	95996	3005	0	0	0	0	2117	6056	4727	0	0	1773	144422
कुल योग		2446148	1964493	772309	81896	28607	16507	14552	49605	434717	736882	789583	700924	1008227	9044450

विदेशी मदिरा दुकानों में वर्ष 2019–20 में निर्धारित राजस्व देयताओं को विलम्ब से जमा पर ऑगणित ब्याज की धनराशि।

क्र० सं०	दुकान का नाम	फरवरी / मार्च (अग्रिम)		अनुज्ञापन शुल्क	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	कुल बकाया ब्याज की धनराशि
		प्रथम	द्वितीय												
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	पटेल नगर(जी0एम0एस0 रोड़)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196208	94466	290674
2	हरिद्वार बाईपास रोड़ (कारगी चौक)	380326	190698	1388	12512	40121	98191	184826	195301	172204	247191	253855	230814	210082	2217509
3	मेहकमपुर	447698	557546	1185	9487	13739	10515	16006	215558	22876	146238	181164	189108	88033	1899153
4	कोटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4557	1593	3155	0	9305
TOTAL		828024	748244	2573	21999	53860	108706	200832	410859	195080	397986	436612	619285	392581	4416641

भाग - II (अ)

प्रस्तर - 2 : अयोग्य व्यक्तियों को अनुज्ञापन दिये जाने से रु0 138.14 लाख राजस्व हानि।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना - 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07.02.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 जारी की गयी थी। नियमावली के नियम 2 (2.3) के अनुसार आवेदक को मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 20% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ निर्धरित प्रारूप जी -(39) में प्रस्तुत करना होगा।

जिला आबकारी अधिकारी, देहारादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद देहरादून की 10 दुकानों (तालिका- 1) का वर्ष 2019-20 में कुल देयता ₹ 1202.55 लाख थी इन अनुज्ञापियों की हैसियत नियमवाली के अनुसार है या नहीं जाँचने पर पाया गया कि तीन विदेशी एवं एक देशी मदिरा दुकानों नामत: रतनपुर, सहसपुर, कुल्हाल गाँव एवं चकराता रोड - 2 के अनुज्ञापियों की हैसियत दुकान के निर्धारित राजस्व के 20% से कम थी अत: ये इन दुकानों के अनुज्ञापन प्राप्त करने के योग्य ही नहीं थे। संलग्न तालिका - 2 - के कालम 3 व 4 में तीनों दुकानों के अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए आवश्यक संपत्ति व अनुज्ञपियों के पास वास्तविक संपत्ति विश्लेषण किए जाने पर ज्ञात होता है कि ये इन दुकानों के अनुज्ञापन की शर्तों को पूरा ही नहीं करते थे अत: अनुज्ञापन योग्य नहीं थे । इन तीनों अयोग्य अनुज्ञपियों पर बकाया राजस्व ₹ 324.05 लाख की वसूली की जानी है जबकि अनुज्ञापियों की हैसियत/संपत्ति मात्र ₹185.91 लाख है जो बकाया राजस्व से ₹138.14 लाख कम था। विभाग द्वारा जिला प्रशासन से अनुज्ञापियों से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का आग्रह किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि जाचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। शासन/विभाग से जनपद का राजस्व निर्धारण के बाद यह जिला आबकारी अधिकारी का दायित्व होता है कि वह राजस्व हित में सभी नियमों का एवं नियमावली का अनुपालन करते हुए कार्य निष्पादन करे व किसी भी अयोग्य व्यक्ति को दुकानों का अनुज्ञापन से बचा जा सके ।

अत: अयोग्य व्यक्तियों को दुकानों का अनुज्ञापन दिये जाने ₹ 138.14 लाख की राजस्व हानि हुई।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

तालिका - 1 - राजस्व डिफ़ाल्टर अनुज्ञापियों की संपत्ति एवं उन पर राजस्व बकाया की स्थिति।

मदिरा दुकान	**कुल निर्धारित राजस्व**	**राजस्व का 20% राशि**	**अनुज्ञापी की संपत्ति मूल्य**	**राजस्व बकाया (वसूली व्यय सहित)**
रतनपुर (विदेशी)	245,92,266	49,18,454	38,49,000	74,97,806
कुल्हाल कुंजा (विदेशी)	115,58,280	23,11,656	24,64,362	68,88,674
कुल्हाल गाँव (विदेशी)	467,04,164	93,40,833	197,41,000	256,43,979
सहसपुर (विदेशी)	276,77,188	55,35,438	31,22,000	134,16,268
राजपुर रोड -3 (विदेशी)	7,73,00,000	154,60,000	319,51,098	162,00,360
चकराता रोड - 1 (विदेशी)	1118,64,000	223,72,800	291,34,000	228,97,676
चकराता रोड - 2 (विदेशी)	8,94,00,000	178,80,000	83,61,600	85,11,030
गांधी रोड (विदेशी)	7,66,20,000	153,24,000	197,32,000	154,64,752
प्रेम नगर (देशी)	8,61,00,000	172,20,000	193,47,493	7,53,969
कुल्हाल गाँव (देशी)	4,14,99,490	82,99,898	32,58,000	29,80,353
योग	**5933,15,388**			**12,02,54,867**

तालिका - 2 राजस्व डिफ़ाल्टर अनुज्ञापियों की संपत्ति एवं उन पर राजस्व बकाया

मदिरा दुकान	कुल निर्धारित राजस्व	राजस्व का 20% अनुज्ञापन हेतु आवश्यक राशि	अनुज्ञापी की संपत्ति मूल्य	राजस्व बकाया
1	**2**	**3**	**4**	**5**
रतनपुर (विदेशी)	245,92,266	49,18,454	38,49,000	74,97,806
सहसपुर (विदेशी)	276,77,188	55,35,438	31,22,000	134,16,268
चकराता रोड - 2 (विदेशी)	8,94,00,000	178,80,000	83,61,600	85,11,030
कुल्हाल गाँव (देशी)	4,14,99,490	82,99,898	32,58,000	29,80,353
योग			**1,85,90,600**	**3,24,05,457**

भाग दो 'अ'

प्रस्तर- 3 : देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानो को दैनिक आधार पर संचालन न किए जाने से राजस्व हानि।

उत्तराखंड शासन के आबकारी अनुभाग के "उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2019" की संख्या॰ 126/XXIII/2019/04(04)/ 2018 देहारादून दिनांक 07॰02॰2019 के नियम 1॰1 में प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2019-20 के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकनवार राजस्व का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा उपरोकतानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकाने का सृजन भी किया जा सकता है एवं नियम-4 में प्रावधान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दैनिक आधार पर संचालन किया जाएगा |

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहारादून के वर्ष 2019-20 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मे पाया गया कि जिला देहारादून को ₹ 561 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया | जिसके परिपेक्ष्य में जिले मे 94 दुकानों में राजस्व निर्धारित (55 विदेशी मदिरा, 37 देशी मदिरा एवं 02 वीयर)किया गया। जिसमें से कुल 84 दुकानों का व्यवस्थापन (40 दुकाने नवीनीकृत, 14 ई-टेण्डर, 14 प्रथम आवक प्रथम पावक, एवं 16 लाटरी से व्यवस्थापित) हुआ था, तथा शेष 10 देशी मदिरा (विवरण संलग्न-1) की दुकानों का (निर्धरित राजस्व लक्ष्य ₹ 38,51,18,076/- था, व्यवस्थापन नहीं हो पाया |

लेखापरीक्षा द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन न होने के सम्बन्ध मे इगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया की 84 दुकानो का व्यवस्थापन हुआ जिसमें दुकाने नवीनीकृत, ई-टेण्डर, प्रथम आवक प्रथम पावक, एवं लाटरी से व्यवस्थापित करायी गयी, शेष 10 दुकानों में कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ और मदिरा दुकानों का निर्धारित राजस्व अधिक होने के कारण आवेदक/व्यवस्थापन में रूचि नहीं ली गयी, जिससे व्यवस्थापन नहीं हो सका |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है कि क्योकि आबकारी नीति के नियम 1॰1 के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकनवार राजस्व का निर्धारण किया गया था और नियम-4 मे प्रावधान है कि किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन मे समय लगता है तो दुकान को दैनिक आधार पर संचालन किया जायेगा, परन्तु इकाई द्वारा दैनिक आधार पर संचालन नहीं किया गया। यदि दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन किया गया होता तो विभाग को राजस्व प्राप्त होता। जबकि विगत वर्ष 2018-19 में उक्त 10 देशी मदिरा की दुकानों से ही ₹ 3581॰73

लाख का व्यवस्थापन राजस्व प्राप्त हुआ था। और जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या 2287/अधि-एक/ दे० वि० मदिरा 2019-20/देहारादून दिनांक 31-03-2019 के द्वारा कार्यालय आयुक्त आबकारी उत्तराखण्ड देहरादून से मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व पर व्यवस्थापित न होने पर आदर्श आचार संहिता के प्रविधानों के आलोक में मार्ग दर्शन मांगा गया था, परन्तु मुख्यालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये और दिनांक 04.05.2019 तक देशी मदिरा, विदेशी मदिरा की दुकानों का लाटरी एवं प्रथक आवक प्रथम पावक के द्वारा 24 दुकानों का व्यवस्थापन हो गया था तथा शेष 10 देशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं हो पाया था। इस सम्बंध में मुख्यालय की लेखापरीक्षा के दोरान पुछे जाने पर अवगत् कराया गया कि संबन्धित प्रकरण की समीक्षा कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभागीय शिथिलता के कारण 10 देशी मदिरा की दुकानों का संचालन/व्यवस्थापन न किये जाने के कारण राजस्व हानि हुई।

अत: उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 : नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व बकाया ₹ 22.45 करोड़।

Under Para 39 of The United Provinces Excise Act,1910- All excise revenue including all amounts due to the Government by any person on account of any contract relating to the excise revenue, may be recovered from the person primarily liable to pay the same, or from his surety (if any), as arrears of land revenue or in the manner provided for the recovery of public demands by any law for the time being in force.

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संलग्न तालिका -1 के अनुसार जनपद देहरादून की 10 दुकानों का वर्ष 2019-20 में निर्धारित लक्ष्य ₹ 59.33 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 47.61 करोड़ ही अनुज्ञापियों ने जमा किए। इस प्रकार ₹ 11.72 करोड़ के साथ न दस मदिरा दुकानों की कुल देयता ₹ 12.82 करोड़ थी। दस में से चार दुकानों का निरस्तीकरण के बाद अन्य अनुज्ञापियों द्वारा या दैनिक आधार पर संचालन किया गया था उक्त चार दुकानों के संचालन से शेष अवधि में ₹12.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था जिससे अनुज्ञापियों की कुल देयता ₹12.82 करोड़ के स्थान पर ₹10.93 करोड़ का राजस्व बकाया था। इस हेतु RC जारी किए जाने के लिए प्रशासन से मांग की गयी थी। इसी प्रकार विभिन्न बकायेदारों पर वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक कुल ₹ 11.52 करोड़ बकाया है (तालिका -2)। विभाग में मदिरा दुकानो को अग्रिम भुगतान के आधार पर चलाये जाने के प्रावधानों के बाद भी राजस्व बकाया रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता को इंगित करता है। यदि बकाये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती तो अवश्य ही धनराशियों को वसूल कर लिया जाता। विभाग द्वारा वसूली प्रमाण पत्र के सापेक्ष लेखा परीक्षा तिथि तक कोई अनुस्मारक पत्र भी जारी नहीं किया गया था, जो कि स्पष्टतः राजकीय राजस्व के प्रति कार्यालय की उदासीनता एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने आंक़ड़ो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये तालिका - 1 के बकाये के सम्बन्ध में बताया कि जाँच कर विस्तृत आख्या प्रेषित की जायेगी तथा तालिका- 2 के बकाये सम्बन्ध में बताया कि "यथाशीध्र अनुस्मारक पत्र जारी किए जाएंगे"। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि बकाया वसूली हेतु यथौचित कार्यवाही नहीं किए जाने

के परिणामस्वरुप वर्ष 2019-20 के राजस्व बकाया ₹10.93 करोड़ के साथ - साथ पूर्व वर्षों के राजस्व बकाया ₹ 11.52 करोड़ की धनराशि वसूली नहीं जा सकी।

अतः नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने से राजस्व बकाया ₹ 22.45 करोड़ की वसूली न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

तालिका - 1

देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों पर वर्ष 2020-21 हेतु अवशेष राजस्व का विवरण

क्र. सं.	मदिरा दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	अवशेष देयता (जुर्माना/ब्याज की राशि + अवशेष राजस्व)	मूल अनुज्ञापी के दुकान छोड़ने पर अन्य से प्राप्त राजस्व	दुकान वार राजस्व हानि
1	रतनपुर (विदेशी)	श्री सुबोध मैठानी	13,04,187/-	61,88,000/-	68,16,187/-
2	कुल्हाल कुंजा (विदेशी)	श्री प्रमोद शाह	68,17,986/-	5,55,555/-	62,62,431/-
3	कुल्हान गाँव (विदेशी)	श्री ललित कुमार	316,12,708/-	83,00,000/-	233,12,708/-
4	सहसपुर (विदेश)	निधि शर्मा	160,96,608/-	39,00,000/-	121,96,607/-
5	राजपुर रोड-1 (विदेशी)	श्री राजकुमार जायसवाल	147,27,600/-	शून्य	147,27,600/-
6	चकराता रोड -1 (विदेशी)	श्री अवतार सिंह	208,16,069/-	शून्य	208,16,069/-
7	चकराता रोड -2 (विदेशी)	श्री सचिन कर्णवाल	77,37,300/-	शून्य	77,37,000/-
8	गांधी रोड (विदेशी)	श्रीमती सरिता जायसवाल	1,40,58,865/-	शून्य	1,40,58,865/-
9	प्रेम नगर (देशी)	श्रीमती कामिनी देवी	6,85,426/-	शून्य	6,85,426/-
10	कुल्हाल गाँव (देशी)	श्री संजीव	27,09,412/-	शून्य	27,09,412/-
	योग		**1282,66,161**	**189,43,556**	**1093,22,605**

तालिका - 2

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के बकाया राजस्व का विवरण

वर्ष 2018-19		
क्रम सं.	बकायेदार का नाम	बकाया धनराशि
1	श्रीमती रश्मि पंत	22034683
2	श्री आशु गुप्ता	1166000
3	श्री राहुल गुप्ता	5759257
4	श्री नवीन कुमार	2259862
5	श्री सुभाष चंद्र शर्मा	1144906
6	श्री देव कुमार शर्मा	5268032
7	श्री राजदीप पटवाल	13515603
8	शिखा अग्रवाल	35917204
कुल बकाया 2018-19		**87065547/-**
वर्ष 2017-18		
1	श्रीमति कविता चौहान	1194371/-
2	श्री विश्वास जोशी	1396070/-
3	श्री सिद्दार्थ रतुडी	2300814/-
4	श्रीमती पूनम अलि	1263972/-
5	श्रीमती अनीता पोखरियाल	2478510/-
6	श्री सुरेंदर सिंह पोखरीयल	1263874/-
7	श्रीमती रेनू भण्डारी	6685022/-
8	श्रीमती कमला देवी	4224607/-
9	वालेन्दर सिंह पोखरियाल	2018521/-
10	श्रीमती	161790/-
11	श्री महेश पोखरियाल	2130856/-
12	श्री सुशांत	600050/-
13	श्री जतिन सहगल	72807/-
14	श्रीमती सुलोचना	714464/-
15	गंभीर सिंह	528440/-
16	श्री प्रवीण अग्रवाल	1151705/-
कुल बकाया वर्ष-2017-18		**28185873/-**
महायोग		**115251420/-**

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-2: नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप रु. 22.79 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07 फरवरी, 2019 उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नीति बिषयक नियमावली, 2019 बनाया गया है।

नियमावली के नियम 5 के अनुसार आवेदक द्वारा मदिरा की दुकान के आवंटन पश्चात निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर आवंटित मदिरा की दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अंतर्गत निरस्त्रीकरण की कार्यवाही की जाएगी तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किए गए समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। नियम 5.5 के अनुसार आवेदक को आवंटित मदिरा की दुकान का निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा। नियम 5.6 के अनुसार प्रथम प्रतिभूति धनराशि नकद 07 दिवस एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में ब्यवस्थापन के 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। नियम 5.7 के अनुसार द्वितीय प्रतिभूति ब्यवस्थापन के 25 दिवस के भीतर जमा न करने की दशा में देशी/विदेशी मदिरा की आपूर्ति रोक दी जाएगी।

कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कुल 82 (27+55) देशी/ बिदेशी मदिरा की दुकानों का ब्यवस्थापन किया गया था, जिसमे से 78 दुकान स्वामियों के द्वारा लाइसेन्स शुल्क बिलम्ब से जमा किये गए थे। प्रथम प्रतिभूति, 53 दुकान स्वामियों के द्वारा लाइसेन्स शुल्क प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति बिलम्ब से जमा किये गये थे। इस प्रकार, सभी अनुज्ञापी किसी न किसी प्रकार लाइसेन्स शुल्क, प्रथम प्रतिभूति या द्वितीय प्रतिभूति जमा न कर defaulter रहे। उल्लेखनीय है कि उल्लिखित नियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी बिना लाइसेन्स शुल्क एवं प्रतिभूति जमा कराये ही अधिभार जमा करने बाले मदिरा दुकानों को मदिरा का उठान दिया जाता रहा।

जनपद की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के द्वारा नियमानुसार देय लाइसेंस शुल्क, प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभूति दुकान आवंटन के एक माह के समयांतर्गत से पूर्व ₹99,13,96,344 निम्न विवरण के अनुसार जमा की जानी थी।

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	देशी/ विदेशी दुकानों के सापेक्ष निर्धारित समयांतर्गत जमा लाइसेन्स शुल्क (A)	देशी/ विदेशी दुकानों के सापेक्ष निर्धारित समयांतर्गत जमा प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभूति (B)
1	देशी	121243000	262466377
2	विदेशी	33395511	574291456
Total		154638511	836757833
Grand Total		**(A+B)=99,13,96,344**	

जबकि निर्धारित तिथि तक मात्र ₹ 22,79,46,998 जमा किए गए थे जिसका विवरण निम्नानुसार था :

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	देशी/ विदेशी दुकानों के सापेक्ष निर्धारित समयांतर्गत जमा लाइसेन्स शुल्क (A)	देशी/ विदेशी दुकानों के सापेक्ष निर्धारित समयांतर्गत जमा प्रथम प्रतिभूति (B)	देशी/ विदेशी दुकानों के सापेक्ष निर्धारित समयांतर्गत जमा द्वितीय प्रतिभूति (C)
1	देशी	11377000	8906646	37588154
2	विदेशी	2223000	84755314	83096884
Total		13600000	93661960	120685038
grand total		**(A+B+C) = 22,79,46,998**		

निर्धारित लाइसेन्स शुल्क एवं प्रतिभूति जमा नहीं करने पर, निरस्तीकरण की कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरुप शासकीय हित में ₹ 22.79 करोड़ जमाओ को जब्त न किया जाना व एसे दोषी (defaulter) अनुज्ञापियों को बिना सम्पूर्ण लाइसेन्स

शुल्क एवं प्रतिभूति जमा मात्र मासिक अधिभार जमा कर उठाना का अधिकार दिये जाने से मदिरा दुकानों को अनियमित संचालन किया गया।

इंगित करने पर कार्यालय ने आंकढ़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि "जांच कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाएगी"। अतः नियमानुसार निश्चित समयांतर्गत राजस्व जमा नहीं करने वाले मदिरा दुकानों का निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप रु. 22.79 करोड़ जब्त नहीं किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3: अनुज्ञापियों से स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने से रू 1.01 लाख की हानि।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 की अनुसूची-1 बी अनुच्छेद-12ए के अनुसार बैंक गारंटी दिये जाने पर प्रत्येक ₹ 1000 या उसके भाग के लिए रू-50 से घटाकर पाँच रूपया किया गया परन्तु स्टाम्प शुल्क ₹ 10000 से अधिक नहीं होगा |

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में देशी विदेशी मदिरा के अनुज्ञापियों द्वारा द्वातीय प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी (विवरण संलग्नक) पर उपरोक्त नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गयी जिससे ₹ 1,01,300/- की राजस्व क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वितीय इगित किये जाने पर लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये अवगत कराया कि जिन अनुज्ञापियों द्वारा निर्धारित बैक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनसे जमा कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार निर्धारित स्टाम्प शुल्क ₹ 1.01 लाख की वसूली न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

विवरण संलग्न

क्रमांक	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	द्वातीय प्रतिभूति की धनराशि (₹)	देय स्टाम्प शुल्क (रू)	भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क (₹)	अवशेष स्टाम्प(₹)
वर्ष 2019-20 विदेशी मदिरा						
1	साहिया	अनिल तोमर	835150	4175	100	4075
2	डाक पत्थर	अतुल सिंघल	1968973	9844	100	9744
3	ट्यूणी	श्री सचिन कुमार शाही	1191672	5958	100	5858
4	हरवर्टपुर	मंजीत सिंह	3312417	10000	100	9900
5	हरीपुर	ललित मोहन शर्मा	1773639	8868	100	8768
6	राजपुर रोड 1	रामनाथ जायसवाल	8010611	10000	100	9900
7	राजपुर	श्रीमती तनु करनवाल	4466702	10000	100	9900
8	ट्रांसपोर्ट नगर	राजेन्द्र सिंह राणा	6345149	10000	100	9900
9	बरोटीवाला	कार्तिक वालिया	1211981	6059	100	5959
वर्ष 2019-20 देशी मदिरा						
10	सेलाकुई	श्रीमती शेफाली वालिया	6099466	10000	100	9900
11	हर्रावाला	श्री प्रवीण त्यागी	4422522	10000	100	9900
12	बरोटी वाला	श्री साहिल वालिया	1519312	7596	100	7496
कुल योग						**1,01,300**

STAN

प्रस्तर- 1 : निष्प्रयोज्य वाहन का मूल्यांकन कर नीलामी न कराया जाना |

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहारादून की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा की जांच में पाया गाया कि वाहन टाटा सूमों UK-07-K-8882 को तिथि 25-02-2013 एवं महिंद्रा जीप वाहन संख्या UK07-B-6654 निष्प्रयोज्य घोषित को तिथि 26-09-2012 को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया। परन्तु मूल्यांकन कराये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि वाहन उपयोग में नहीं था, उक्त वाहन का मूल्यांकन कर नीलामी की कार्यवाही की जाती तो अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही न किये जाने से वाहन का मूल्य ह्रास निरन्तर हो रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये अवगत कराया कि यथाशीघ्र मूल्यांकन करा नीलामी की कार्यवाही की जायेगी | अत: निष्प्रयोज्य वाहन का मूल्यांकन कर नीलामी की कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/SE-22/1997-98	-	01	-
RS/SE-29/2000-01	01,02	01	-
RS/SE-38/2015-16	01	01	-
RS/SE-40/2017-18	01,02	01	-
RS/SE-38/2018-19	-	01,02,03,04,05,06	
RS/SE-127/2019-20	01	01,02,03,04	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित प्रकरणों की अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करा दी जायेगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   1. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनोज कुमार उपाध्याय	(जिला आ. अधि.) up to 29.08.20
(ii)	श्री रमेशचन्द्र	(जिला आ. अधि.) 29.08.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV